

FIRE SAFETY CERTIFICATE

No.

Dated:

Certified that the ATAL UTKRISHT G.I.C. ARAKOT MORI (name of the building or premises) at VILL- ARAKOT P.O. ARAKOT MORI UTTARKASHI (address) comprised of NO basement(s) and 1 TWO (02) (upper floors) owned/ occupied by ATAL UTKRISHT G.I.C. ARAKOT MORI (name of the institution) have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/ UT Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on 14-06-2024 (date of inspection) in the presence of CH- RAM PRAKASH (PRINCIPAL) (name and addresses of the Manager/ Secretary or his representative) and that the building/ premises is fit for occupancy upto classes VI - XII (X/ XII) With effect from 24/6/2024 to 23/6/27 for a period of 03 year in accordance with rule and subject to compliance of specific conditions as appended:-

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Issued on 24/06/2024 (date of issue) at BARKOT (place) by प्रभारी 01/07/2024

*Strike out whichever is not applicable.

अग्निशमन अधिकारी
Signature with Seal: नौगढ़ (बड़कोट) उत्तरकाशी

Name : British Raut

Designation : F/C F/S Barkot

Name & Address of Department/ Office: Police Fire Station, Barkot, Dist. - Uttarakashi

To

PRINCIPAL

(Name & Address of the Institution)

ATAL UTKRISHT G.I.C. ARAKOT MORI UTTARKASHI

ENDORSEMENT

The No Objection Certificate issued by Fire Service stand cancelled an annulled due to (reasons to be recorded).

(Name and designation of the authorized signatory)

* The filled up certificate should be either in Hindi or English. If it is issued in vernacular language, translated notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as a single pdf.

सेवा में,

स्वामी/प्रबन्धक

Atal Utkrisht Government Inter College

Vill & P.O Arakot,

Tehsil- Mori, Distt- Uttarkashi

विषय:- अग्निसुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी नवीनीकरण (Pre - Clearance) अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने विषयक।

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा ऑनलाईन किये गये आवेदन पत्र सं0- 33830194; दिनांक- 08.06.2024 के परिपेक्ष्य में इस कार्यालय से निर्गत आदेश के अनुपालन में प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी नौगांव (बड़कोट), जनपद उत्तरकाशी द्वारा आपके प्रश्नगत स्थल "Atal Utkrisht Government Inter College" ग्राम, पोस्ट आफिस अराकोट, तहसील मोरी, जनपद उत्तरकाशी का प्राथमिक अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण कर अपनी निरीक्षण आख्या पत्रांक- न-एफ0एस0/2018, दिनांक- जून, 15, 2024 के माध्यम से प्रेषित की गयी है। जिसमें निरीक्षण के दौरान निम्नांकित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था पाई गई।

1. प्रश्नगत स्थल में ए.बी.सी. टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर 04 किग्रा क्षमता- 10 अदद एव फायर सैण्ड बकैट मय स्टैण्ड का प्राविधान किया गया है।
2. प्रश्नगत स्थल में पानी का ओवर हैड टैंक क्षमता 1,000 लीटर का प्राविधान किया गया है, जो निरीक्षण की तिथि को पानी से भरे पाये गये।
3. निरीक्षण की तिथि को भवन की विद्युत व्यवस्था एम.सी.बी. एवं ई.एल.सी.बी. पर आधारित है।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत स्थल का किसी भी कार्य दिवस में मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण किया जा सकता है, साथ ही निर्देशित किया जाता है कि-

1. परिसर के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण किये जाने की दशा में तदनुसार NBC 2016 के Part- 04 में निहित मानकों के अनुसार अतिरिक्त अग्निसुरक्षा व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा।
2. परिसर में प्रत्येक समय पानी रिजर्व रखा जाना अनिवार्य होगा तथा स्थापित अग्निसुरक्षा व्यवस्था की कार्यक्षमता व रख-रखाव को प्रत्येक समय उच्च स्तर पर बनाये रखेंगे।
3. परिसर के सभी निकास मार्ग या आपातकालीन मार्ग व सैटबैक प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखे जायें।
4. प्रश्नगत स्थल में कार्यरत कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है।
5. परिसर में विद्युत स्विच बोर्ड/विद्युत पैनल के आस-पास, निकास मार्ग एवं सैट बैक क्षेत्र में किसी सामग्री का भण्डारण नहीं किया जायेगा। भण्डारण किये जाने पर यह प्रबन्धन की लापरवाही मानी जायेगी तथा भविष्य में अग्निदुर्घटना घटित होने पर बीमा दावे हेतु संस्तुति नहीं की जायेगी।
6. प्रश्नगत स्थल का प्रत्येक 03 वर्ष से पूर्व इस कार्यालय से अग्निशमन यन्त्रों का परीक्षण कराकर नियमानुसार (10 रु0 प्रति फायर एक्सटिंग्यूशर टैस्टिंग शुल्क) निर्धारित शुल्क-(फायर सर्विस हैड 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, 60 अन्य सेवाएँ, 109 अग्नि से संरक्षण एव नियन्त्रण जमा कराकर अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रमाण-पत्र नवीनीकृत नहीं कराये जाने की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। साथ ही प्रत्येक छः माह में प्रश्नगत स्थल/परिसर में अग्निसुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व-घोषणा प्रमाण-पत्र (Self Declaration Certificate) प्रस्तुत/अपलोड करना होगा।
7. निर्गत अग्निसुरक्षा प्रमाण-पत्र का उपयोग किसी अवैध निर्माण/कब्जे को नियमित करने के लिए मान्य नहीं होगा।

उपरोक्तानुसार इस कार्यालय से दिये गये निर्देश/सुझाव एवं शर्तों का पालन किए जाने एवं प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी नौगांव (बड़कोट), जनपद उत्तरकाशी की संस्तुति आख्या के आधार पर "Atal Utkrisht Government Inter College" ग्राम, पोस्ट आफिस अराकोट, तहसील मोरी, जनपद उत्तरकाशी को दिनांक- 24 जून, 2024 से 23 जून, 2027 तक अधिभाग (Occupancy)/अध्यासन किये जाने हेतु अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः अतः अग्निसुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी नवीनीकरण (Pre- Clearance) अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है।



नापलिय H S BKT
डा. तमोवत है

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
टिहरी गढ़वाल/उत्तरकाशी